

No.PERL/17(28)/2004 Pt

05 Aug 2016

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना में संशोधन
AMENDMENT TO MEDICAL ASSISTANCE SCHEME FOR RETIRED EMPLOYEES
(MASRE)

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अनुसार, दिनांक 01.01.2007 के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों को वार्षिक प्रीमियम के 10% की दर पर वार्षिक नवीकरण शुल्क या 2,000 रुपए, जो भी अधिक है, अदा करने की आवश्यकता है।

As per the Medical Assistance Scheme for Retired Employees (MASRE) the officers, supervisors & workmen, who retired prior to 01.01.2007, are required to pay "annual renewal fee @ 10% of the annual premium or ₹2,000/- whichever is more".

2. वार्षिक नवीकरण शुल्क एक वहन करने योग्य राशि के रूप में कम करने के लिए ऐसे पूर्व-2007 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करनेवाले संघों के अनुरोध पर विचार करते हुए, सीएसएल बोर्ड ने दिनांक 07 मई 2016 को आयोजित अपनी 225वीं बैठक में "कंपनी द्वारा निर्णय लिए अनुसार किसी उचित राशि, लेकिन 100 रुपए से कम न हो" के रूप में वार्षिक नवीकरण शुल्क के भुगतान के संबंध में उपर्युक्त संदर्भित खंड को संशोधन करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया।

Considering the request of such pre-2007 retired employees and Associations representing retired employees to reduce the annual renewal fee to affordable amount, CSL Board in its 225th Meeting held on 07 May 2016 approved the proposal to amend the clause referred above regarding payment of annual renewal fee as "any suitable amount as may be decided by the Company but not less than ₹100/-"

3. इस खंड के संशोधन के अनुसरण में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने वार्षिक नवीकरण शुल्क को एक वहन करने योग्य राशि के रूप में कम किया है। तदनुसार, ग्रूप मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के अधीन कवरेज के लिए दिनांक 01.01.2007 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू वार्षिक नवीकरण शुल्क दिनांक 2016-17 से 100 रुपए होगा। 2,490 रुपए के वार्षिक नवीकरण शुल्क पहले ही प्रदत्त और वर्ष 2016-17 के लिए योजना के अधीन शामिल पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों से 2,390 रुपए (अर्थात् 2,490 रुपए-100 रुपए) की राशि वापस प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यथासमय बैंक खाते में राशि वापस दी जाएगी।

Pursuant to the amendment of this clause, C&MD is pleased to reduce the annual renewal fee to an affordable amount. Accordingly, the annual renewal fee applicable to employees who retired prior to 01.01.2007 for coverage under the Group Mediclaim Insurance Policy will be ₹100/- w.e.f 2016-17 onwards. Those eligible retired employees, who have already paid the annual renewal fee of ₹2,490/- and enrolled under the scheme for the year 2016-17, are entitled to receive refund amount of ₹2,390/- (ie. ₹2,490 – ₹100) from CSL. The refund will be made to the bank account of respective retired employees, in due course.

4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यह भी सूचित करते हैं कि दिनांक 01.01.2007 से पूर्व सीएसएल की सेवा से सेवानिवृत्त सीएसएल के किसी भी पूर्व- कर्मचारियों के मामले, आवश्यकता और मेरिट के आधार पर समर्पित कोष की समग्र वित्तीय क्षमता के अंदर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा उचित समझे अनुसार किसी ऐसी वित्तीय सहायता के लिए मंजूर और प्रदान करने के लिए बोर्ड ने सशक्त और प्रत्यायुक्त किया है। इस उद्देश्य के लिए, योजना के अधीन पात्र पूर्व कर्मचारियों जिन्हें निर्धारित सीमा के परे जानेवाले चिकित्सा उपचार से संबंधित सहायता की अति आवश्यकता है, एक लिखित अनुरोध और विवरण के साथ कंपनी से संपर्क करें। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मामले की आवश्यक जांच के बाद उनको उचित समझे अनुसार कार्रवाई के लिए निदेश देंगे।

C&MD is also pleased to inform that the Board has empowered and delegated to sanction and extend any such financial assistance as deemed appropriate by C&MD within the overall financial capability of the dedicated corpus on case to case, need and merit basis to any of those ex-employees of CSL who retired from CSL service prior to 01.01.2007. For this purpose, those eligible former employees under the Scheme, who are in dire need of support particularly relating to medical treatment going beyond the prescribed limit, may approach the Company with a written request and details. C&MD, after necessary examination of the case would direct for action as deemed appropriate by him.

5. यह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

This issues with the approval of C&MD.

(एम डी वर्गास/M D Varghese)
महा प्रबंधक (औ.सं. एवं प्रशासन)
General Manager (IR&Admn)

सेवा में/To

All concerned

प्रतिलिपि/Copy to:

D(F)/D(T)/D(O)
CGMs/GMs/Co.Secy/DGMs
AGM(A) to CMD/VO/MO

The organization of retired employees and CSEO, CSEF, CSEU, SES, CSSSA, CSOA